सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष न. 0141-2227275, ई-मेल seprd123@gmail.com

क्रमांक एफ.4(327) पराविं/पीसी/पंसग्राप./एकीकरण/2016/4565 जयपुर,दिनांक 28.11.16

जिला कलेक्टर
जिला समस्त (बून्दी, भीलवाडा हनुमानगढ, कोटा, झालावाड को छोड कर) समस्त।

विषयः— एकीकरण से रिक्त हुए विधालय परिसर में नवसृजित ग्राम पंचायत के कार्यालय समन्वयन स्थापित करने बाबत्।

संदर्भः— प्रमुख शासन सचिव, पराज एवं ग्रावि के पत्रांक विभागीय समसंख्यक पत्र क्रमांक 2013 दिनांक 22.7.2016 एवं पत्रांक 2374 दिनांक 02.08.2016, पत्रांक 2916 दिनांक 09.09.2016

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करे, जिसके द्वारा नवसृजित ग्राम पंचायतों के भवन निर्माण हेतु महात्मा गांधी नरेगा योजना से प्रथम चरण में लागत राशि रुपये 30 लाख की दिनांक 15.08.2016 तक स्वीकृति जारी करने के लिए निर्देशित किया गया है।

पंचायत मुख्यालय पर कोई भी अनुपयोगी राजकीय भवन या समानीकरण के तहत रिक्त हुए विधालय भवन उपलब्ध होने की स्थिति में इन का उपयोग प्राथमिकता से किया जावे। इन अनुपयोगी भवनों के वर्तमान मानचित्र को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायत कार्यालय भवन में अपेक्षित सुविधाओं के निर्माण हेतु भवन के विस्तार की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

ग्राम पंचायत के कार्यालय भवन में एक बैठक कक्ष, सरपंच, सचिव, पटवारी, कनिष्ठ लिपिक आदि के लिए कुल 4 कक्ष अपेक्षित है। विधालय परिसर में बडा कक्ष होने पर एक कक्ष में एक से अधिक कार्मिको को बैठने हेतु स्थान उपलब्ध करवाया जा सकता है।

दिनांक 09.11.2016 को आयोजित वी0सी0 में जिलो द्वारा यह अवगत कराया गया है कि कुछ ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर विधालय भवन उपलब्ध है परन्तु शिक्षा से संबंधित अधिकारियों द्वारा इन भवनो का हस्तान्तरण नही किया जा रहा है जिसके कारण कार्य स्वीकृत नही हो पा रहे है। विधालयों का हस्तान्तरण होने के उपरान्त इस परिसर में आवश्यकतानुसार विस्तार करना होगा। जिन स्थानों पर विधालय भवन उपलब्ध है, उनको ग्राम पंचायत कार्यालय भवन में परिवर्तित करने हेतु "केस टू केस बेस" पर विस्तृत तकमीना तैयार कर स्वीकृति जारी की जा सकती है।

संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प.17(2) प्राशि/आयो./भूमि-भवन/2016 दिनांक 16.08.2016 की प्रति संलग्न कर आपसे निवेदन है कि **जहा पर विधालय भवन रिक्त है उन विधालयों में संबंधित ग्राम पंचायत/पंचायत समिति कार्यालय का कार्य तत्काल स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करे।**

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(आनन्द कुमार)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, जयपुर ।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (बून्दी, भीलवाडा, हनुमानगढ, कोटा, झालावाड को छोड कर) समस्त।

(हस्ताक्षर)

(मुकेश माहेश्वरी)
अधीक्षण अभियन्ता